

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 4611  
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन

†4611. एडवोकेट प्रिया सरोज:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत कार्यात्मक नल जल कनेक्शन प्राप्त करने वाले ग्रामीण परिवारों की जिलेवार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी ग्राम पंचायत की पहचान की है जहाँ नल जल कवरेज 50 प्रतिशत से कम है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) 2022 से उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत निर्मित शौचालयों की संख्या कितनी है;
- (घ) क्या इस संबंध में कोई अनुवर्ती सर्वेक्षण किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार को रखरखाव या जल आपूर्ति की कमी के कारण निष्क्रिय नलों या अनुपयोगी शौचालयों को दर्शाने वाले आंकड़े प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार का विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्सेनिक-प्रवण ब्लॉकों में जल गुणवत्ता निगरानी सुनिश्चित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति  
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश भर के सभी गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के सामूहिक प्रयासों से

जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.45 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 19.08.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.68 करोड़ (81.02%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, उत्तर प्रदेश में 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 15 अगस्त 2019 को 5.16 लाख (1.93%) नल कनेक्शनों से शुरू करके, 19 अगस्त 2025 तक 2.41 करोड़ (90.34%) नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 2.36 करोड़ नल कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत प्रदान किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों का जिला-वार विवरण और उन ग्राम पंचायतों का जिला-वार विवरण, जहां नल जल कवरेज 50% से कम है, <https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx> पर उपलब्ध है।

(ग): स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक (19.08.2025 तक) कुल 37,00,275 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया है।

(घ): उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि कोई अनुवर्ती सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परंतु विदित है कि उत्तर प्रदेश को 2018 में पहले ही ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। अब चरण-II में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सीधे [sbm.gov.in](http://sbm.gov.in) वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। लाभार्थी की पात्रता के विधिवत सत्यापन के बाद संबंधित जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अनुमोदन से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

(ङ): उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि पंचायतों को हस्तांतरित की गई 2516 राजस्व गांवों को कवर करने वाली 1613 पुरानी योजनाएं ग्राम पंचायतों द्वारा योजनाओं के अनुचित संचालन एवं रखरखाव के कारण कार्यशील नहीं हैं। नई ओ एंड एम नीति के तहत, सभी योजनाओं का संचालन और रखरखाव यूपी जल निगम (ग्रामीण) द्वारा विक्रेताओं के माध्यम से किया जाना है।

इसके अलावा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) 2023 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 92.3% शौचालयों का उपयोग किया जाता है।

(च): जल जीवन मिशन के अंतर्गत, परिवारों हेतु नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय आर्सेनिक सहित रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है।

वर्तमान कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत निधियों के अपने वार्षिक आबंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल जनशक्ति को कार्य पर रखना, फील्ड परीक्षण किटों (एफटीके) का उपयोग करके सामुदायिक निगरानी करना, जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता, आदि शामिल हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पीने के पानी के नमूना संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी और पर्यवेक्षण करने हेतु सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से संसूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा <https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report> पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण बिंदुओं पर पीने के पानी के नमूनों के व्यापक परीक्षण और यथा आवश्यकता, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के परिवारों सहित प्रत्येक परिवार को आपूर्ति किया गया पेयजल निर्धारित गुणवत्ता का है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) सभी जिलों में रासायनिक और बैक्टीरियल पैरामीटरों के नियमित परीक्षण के लिए 81 प्रयोगशालाएं (75 जिला, 5 मोबाइल और 1 राज्य स्तरीय) संचालित करता है। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, एफटीके के माध्यम से नियमित परीक्षण हर गांव में किया जा रहा है और एफटीके प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर परिणाम अपलोड किए जा रहे हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण गांवों में लगभग 5,53,645 महिलाओं (न्यूनतम 5 प्रति ग्राम) को स्रोत और सुपुर्दगी स्थलों पर पानी का परीक्षण करके जल गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए फील्ड परीक्षण किटों (एफटीके) का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है और मामूली शुल्क पर प्रयोगशालाओं तक लोगों की पहुंच को सुलभ बनाया गया है।

\*\*\*\*\*